न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 644/2023

अनवान : –

1. मोहन सिंह उर्फ मुन्सी सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. रामपत पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. मंगेज कंवर पुत्र स्व0 मेहताब सिंह जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. मांगूसिंह पुत्र स्व0 मेहताब सिंह जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 08/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 243/279 के ख0न0 500/759 की कुल 10.775 हैक्ट एवं ख0न0 597 की 8.3550 हैक्ट कुल 19.1600 हैक्ट भूमि में संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 221 हिस्सा भूमि दर्ज थी।

रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 242 के अनुसार उक्त खाते की 75.15 बीघा भूमि में से रामपत पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर ने संयुक्त रूप से अपने नाम दर्ज 221 हिस्सा यानि 11.01 बिघा भूमि समस्त प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 15.09.1989 को मेहताब सिंह, मोहनसिंह पुत्रगण विजयसिंह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर को बैयनामा करवा दिया था। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 242 की कुल 75.15 बिघा भूमि में से 221 हिस्सा यानि 11.01 बिघा भूमि वादी व उसके भाई मेहताब सिंह द्वारा खरीद की गई भूमि थी एवं वादी व उसके भाई मेहताब सिंह के मध्य वादग्रस्त भूमि खरीद शुदा कृषि भूमि से सम्बन्ध में एक समझौता हुआ एवं मुताबिक समझौता के अनुसार वादी के भाई विजयसिंह ने खरीद शुदा कृषि भूमि 11.1 बिघा भूमि में से बेचना तय किया गया तथा वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण दोनो भाईयों के पक्ष में दर्ज नही हुआ और तय किया गया कि 11.01 बीघा भूमि मे से 8.05 बीघा भूमि बैय कर दी जावे एवं शेष बची भूमि में मेहताब सिंह का कोई हक व हिस्सा नही रहेगा। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या [illegible] नाम दर्ज है तथा वादग्रस्त भूमि मे से 8.05 बिघा कृषि भूमि बैय करवा दी गई एवं शेष [illegible] 2.16 बीघा भूमि वादी के नाम दर्ज होनी थी परन्तु वादग्रस्त भूमि आज तक वादी के नाम दर्ज हुई तथा वादग्रस्त भूमि वादी अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का भाई मेहताब सिंह पुत्र विजयसिंह फौत हो चुका

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 है एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 243/279 की कुल 19.1600 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त तोर से 707/19160 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि वादी के कब्जा काश्त में है तथा वादी द्वारा उक्त भूमि खरीद शुदा है लेकिन वाद भूमि का वादी के नाम नामान्तरण दर्ज नही हो सका अत रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 243/279 की कुल 19.1600 हैक्ट भूमि मे से 707/19160 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम दर्ज की जावे। इसी आशय की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 2 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित नही अतः प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, चित्रप्रति बैयनामा आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 243/279 की कुल 19.1600 हैक्ट भूमि मे से 707/19160 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से वादी द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई है उक्त भूमि पर वादी काबिज है लेकिन मुताबिक बैयनामा वाद भूमि वादी के नाम दर्ज नही हुई है अतः उक्त वाद भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 2 ने हाल वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अतः वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 243/279 की कुल 19.1600 हैक्ट भूमि मे से 707/19160 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के मुताबिक उक्त भूमि जरिये बैयनामा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता महताब सिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद की गई है। महताब सिंह से वादी द्वारा खरीद की गई है। लेकिन उक्त बैयनामों के आधार पर वाद भूमि पक्षकारान के नाम दर्ज नही हुई है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 243/279 की कुल 19.1600 हैक्ट भूमि मे से 707/19160 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/8/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:54 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 644/2023

अनवान : –

1. मोहन सिंह उर्फ मुन्सी सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामपत पुत्र भैराराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. मंगेज कंवर पुत्र स्व0 मेहताब सिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. मांगूसिंह पुत्र स्व0 मेहताब सिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 644 सन 2023 निर्णय दिनांक 08/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 243/279 की कुल 19.1600 हैक्ट भूमि मे से 707/19160 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:54 IST
Reason: SelfAttested